



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240471
CG-DL-E-23112022-240471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5197]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 5197]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5425(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इस के पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2528(अ) तारीख 31.05.2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 361 के कि.मी. 505.550 कि.मी. से 567.000 कि. मी. तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "30.06.2022" को " सकाल " और " नवभारत " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या. 361 के कि.मी. 505.550 से कि.मी. 567.000 तक (गांजुर से रालगा खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: लातूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चाकुर				
	गांव का नाम: अष्टा				
1	70	निजी	कृषि	0.0036	कांताबाई बन्नुवान दांडगे (70)
2	70	निजी	कृषि	0.0057	मेघराज पांडुरंग तिरुके ()
3	70	निजी	कृषि	0.0026	सरकारी रस्ता (70)
4	70	निजी	कृषि	0.0007	सुभाष पांडुरंग तिरुके (70)
5	70	निजी	कृषि	0.0009	रामदास पंढरी बरुरे (70)
6	70	निजी	कृषि	0.0041	सुभाष पांडुरंग तिरुके (70)
7	70	निजी	कृषि	0.0032	बालाजी पंढरीनाथ चन्नगीरे (70)
8	70	निजी	कृषि	0.0026	चंद्रकांत विठल चामले (70)

9	70	निजी	कृषि	0.0029	अशोक बळीराम चलवाड (70)
10	70	निजी	कृषि	0.0032	सतिश बळीराम कोलपुके (70)
11	70	निजी	कृषि	0.0029	सुशिला योगीराज चामले (70)
12	70	निजी	कृषि	0.0034	पदमाकर पंढरी उगीले (70)
13	70	निजी	कृषि	0.0039	मेघराज पांडुरंग तिरुके (70)
14	71	निजी	कृषि	0.0037	हणमंत पंढरी उगीले (71)
15	71	निजी	कृषि	0.0049	लक्ष्मण विठल उगीले (71)
16	71	निजी	कृषि	0.0006	प्रकाश विठल उगीले (71)
17	71	निजी	कृषि	0.0016	दिलीप कृष्णाप्पा गोडभरले (71)
18	71	निजी	कृषि	0.0064	अयोध्याबाई सोपान उगीले (71)
19	71	निजी	कृषि	0.0029	उमाकांत भानुदास गुरमे चंद्रकांत भानुदास गुरमे कालीदास भानुदास गुरमे (71)
20	71	निजी	कृषि	0.0077	चंद्रकांत भानुदास गुरमे (71)
21	71	निजी	कृषि	0.009	उमाकांत भानुदास गुरमे चंद्रकांत भानुदास गुरमे कालीदास भानुदास गुरमे (71)
	गांव का नाम: बनसावरगांव				
22	78	निजी	कृषि	0.02	शिवशंकर माधवराव बावगे (78)
23	79	निजी	कृषि	0.1675	सुनिता विवेकानंद भोरे

					(79)
24	79	निजी	कृषि	0.0286	अनिकेत विनायक मोरे (79)
25	79	निजी	कृषि	0.0674	धनश्री निळकंठ मिरकले (79)
			कुल	0.36	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5425(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2528 (E), dated 31.05.2022, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3(A) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 505.550 to Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) in District Latur in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Sakal" and "Navbharat" both dated 30.06.2022, under sub- section (3) of section 3(A) of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3(D) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3(D) of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3(D) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 505.550 Km. 567.000 (Ganjur to Ralga Section) of National Highway - 361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA District: Latur					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chakur				
	Village: Ashta				
1	70	Private	Agricultural	0.0036	Kantabai Babruwan Dandge 70
2	70	Private	Agricultural	0.0057	Megharaj Pandurang Turuke 70
3	70	Private	Agricultural	0.0026	Govt Road 70
4	70	Private	Agricultural	0.0007	Subhash Pandurang Tiruke 70
5	70	Private	Agricultural	0.0009	Ramdas Pandhari Barure 70
6	70	Private	Agricultural	0.0041	Subhash Pandurang Tiruke 70
7	70	Private	Agricultural	0.0032	Balaji Pandharinath Channagire 70
8	70	Private	Agricultural	0.0026	Chandrakant Vitthal Chamle 70
9	70	Private	Agricultural	0.0029	Ashok Baliram Chalwad 70
10	70	Private	Agricultural	0.0032	Sathish Chandrasen Kolpuke 70
11	70	Private	Agricultural	0.0029	Sushilabai Yogiraj Chamle 70
12	70	Private	Agricultural	0.0034	Padmaker Pandhari Ugile 70
13	70	Private	Agricultural	0.0039	Megharaj Pandurang Turuke 70
14	71	Private	Agricultural	0.0037	Hanmanth Pandhari Ugile 71
15	71	Private	Agricultural	0.0049	Laxman Vitthal ugile 71
16	71	Private	Agricultural	0.0006	Prakash Vitthal Ugile 71
17	71	Private	Agricultural	0.0016	Dilip Krashanappa Godbharle 71
18	71	Private	Agricultural	0.0064	Ayodhyabai Sopan Ugile 71

19	71	Private	Agricultural	0.0029	Umakant, Bhanudas Gurme Chandrakant Bhanudas Gurme Kalidas Bhanudas Gurme 71
20	71	Private	Agricultural	0.0077	Chandrakant Bhanudas Gureme 71
21	71	Private	Agricultural	0.009	Umakant, Bhanudas Gurme Chandrakant Bhanudas Gurme Kalidas Bhanudas Gurme 71
	Village: Bansawargaon				
22	78	Private	Agricultural	0.02	Shivshanker Madhavrao Bavage 78
23	79	Private	Agricultural	0.1675	Sunita vivekand Bhore 79
24	79	Private	Agricultural	0.0286	Aniket Vinayak More 79
25	79	Private	Agricultural	0.0674	Dhanshree Nilkanth Mirkale 79
			TOTAL	0.36	

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D2]

RAJESH GUPTA, Director